न्यायालय सहायक कलक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी चौहटन

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथ राम II, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :– 135/2012 अन्तर्गत धारा 251 'क' Rt Act

अनवान :–

प्रार्थी:–

1.तनसिंह पुत्र इन्द्रसिंह, जाति राजपूत
निवासी सणाऊ, तहसील चौहटन

बनाम

विप्रार्थीगण:–

1. मानसिंह 2.भूरसिंह पि.ईशरसिंह
3.नीम्बसिंह पुत्र रूपसिंह
4. वीरसिंह पि.दीपसिंह
जाति राजपूत, निवासी सणाऊ

वकील प्रार्थी :– श्री जगदीश पोटलिया

वकील विप्रार्थी :– श्री प्रवीण चौधरी (विप्रार्थी सं.1)

निर्णय

दिनांक 09.09.2022

प्रार्थी के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि उपरोक्त अनवान के आवेदन में हाजा न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 10.02.2014 को पारित किया गया। निर्णय अनुसार प्रार्थी को उसकी जोत मौजा डूंगरपुरा के खसरा सं. 528/454 रकबा 06.13 बीघा में आने जाने के लिए विप्रार्थीगण के खेत खसरा सं. 458/334 रकबा 62.00 बीघा एवं खसरा सं. 457/334 रकबा 143.04 बीघा मौजा डूंगरपुरा में से 20 फीट का चौड़ा रास्ता प्रार्थी को दिया गया।

न्यायालय हाजा द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 10.02.2014 के विरूद्ध अपील श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई। मूल पत्रावली राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर द्वारा तलब करने पर उनको भिजवाई गई। अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर के द्वारा न्यायालय हाजा का निर्णय दिनांक 10.02.2014 इस निर्देश के साथ अपास्त किया गया कि जिस भूमि के लिए रास्ते की मांग की

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.11.21 15:39:26 IST
Reason: SelfAttested

उस भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किया जा चुका है। राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम की धारा 251ए के अन्तर्गत कृषि भूमियों के लिए रास्ते का प्रावधान किया गया है न कि औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि के लिये। इसलिए उभयपक्ष को सुनवाई का मौका दिया जाकर साक्ष्य सबूत लेकर व तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर पुनः निर्णय पारित करे।

मूल पत्रावली पुनः न्यायालय हाजा को प्राप्त होकर दिनांक 03.08.2021 को दर्ज रजिस्टर हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित हुए एवं विप्रार्थी सं. 01 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण चौधरी ने वकालतनामा पेश किया । विप्रार्थी सं. 01 की ओर जवाब पेश किया गया। उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि उपरोक्त अनवान के निर्णय में दिनांक 10.02.2014 को पारित किया गया । वक्त निर्णय दिनांक को वादग्रस्त भूमि मौजा डूंगरपुरा खसरा सं. 528/454 रकबा 06.13 बीघा भूमि कृषि भूमि थी। प्रार्थी की उक्त जोत में आने जाने के लिए प्रार्थी द्वारा विप्रार्थीगण के खेत खसरा सं. 458/334 रकबा 62.00 बीघा एवं खसरा सं. 457/334 रकबा 143.04 बीघा मौजा डूंगरपुरा से रास्ता चाहा गया जिस हेतु आवेदन 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया गया । जो किसी प्रकार से विधि विरूद्ध नहीं था। क्योंकि कृषि भूमि के लिए रास्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के अन्तर्गत ही प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार न्यायालय हाजा द्वारा नियमानुसार उचित निर्णय पारित किया गया है।

बहस में प्रार्थी वकील ने कथन किया कि वादग्रस्त भूमि मौजा डूंगरपुरा के खसरा सं. 528/454 रकबा 06.13 बीघा भूमि का ओद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण दिनांक 06.04.2018 को करवाया गया जबकि उपरोक्त अनवान के आवेदन में निर्णय दिनांक 10.02.2014 को पारित किया गया जिसका नामान्तरकरण तहसीलदार चौहटन द्वारा दिनांक 23.04.2018 को स्वीकृत किया गया। जबकि श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर द्वारा निर्णय दिनांक 24.10.2018 को पारित किया गया। इस प्रकार विप्रार्थी अधिवक्ता के जवाब में यह कथन करना गलत है कि प्रार्थी कृषक ही नहीं है तथा रास्ते का आवेदन की गई है वह जोत ओद्योगिक प्रयोजनार्थ है। चूंकि न्यायालय हाजा द्वारा जिस दिनांक को निर्णय पारित किया गया उस दिनांक को उक्त जोत कृषि भूमि थी ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.11.21 15:39:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

इस प्रकार न्यायालय हाजा द्वारा जो निर्णय पारित किया गया वो सही है। प्रार्थी को खसरा सं. 458/334 रकबा 62.00 बीघा एवं खसरा सं. 457/334 रकबा 143.04 बीघा मौजा डूंगरपुरा में से 20 फीट का जो रास्ता दिया गया है वो निर्णय यथावत रखा जावे।

विप्रार्थी स. 01 के वकील ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी कृषक ही नहीं है क्यों कि जिस जोत खसरा सं. 528/454 रकबा 06.13 बीघा में जाने के लिए रास्ते की आज्ञा मांगी गई है वह जोत ओद्योगिक प्रयोजनार्थ है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए में स्पष्ट प्रावधान है कि कृषि जोत में कृषि कार्य के लिए कृषक को रास्ता उपलब्ध करवाया जावे। प्रार्थी द्वारा अपनी जोत की किस्म क्या है इसका कहीं पर अंकन नहीं किया गया। प्रार्थी की जोत कृषि जोत नहीं है तथा ओद्योगिक प्रयोजनार्थ होने से नया रास्ता नहीं दिया जा सकता है। प्रार्थी की जोत खसरा सं. 528/454 रकबा 06.13 बीघा भूमि ओद्योगिक प्रयोजनार्थ की भूमि है इसलिए मुआवजा राशि अदा करने करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। इस प्रकार प्रार्थी का आवेदन विधि द्वारा वर्जित, विधि के प्रावधानों के विरूद्ध एवं काबिले खारिज होने के कारण मय खर्चे खारीज फरमाया जावे।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । सलंग्न दस्तावेजों एवं मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी को उसकी जोत मौजा डूंगरपुरा के खसरा सं. 528/454 रकबा 06.13 बीघा में आने जाने के लिए विप्रार्थीगण के खेत खसरा सं. 458/334 रकबा 62.00 बीघा एवं खसरा सं. 457/334 रकबा 143.04 बीघा मौजा डूंगरपुरा में से 20 फीट का चौड़ा रास्ता प्रार्थी को देने का निर्णय दिनांक 10.02.2014 को पारित किया गया।

वक्त निर्णय दिनांक उक्त वादग्रस्त आराजी भूमि मौजा डूंगरपुरा खसरा सं. 528/454 रकबा 06.13 बीघा भूमि कृषि भूमि थी। कृषि भूमि के लिए रास्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के अन्तर्गत ही प्राप्त किया जा सकता है। स्पष्ट होता है कि न्यायालय हाजा द्वारा नियमानुसार उचित निर्णय पारित किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.11.21 15:39:26 IST
Reason: SelfAttested

वादग्रस्त आराजी खसरा सं. 528/454 रकबा 06.13 बीघा का ओद्योगिक प्रयोजनार्थ हेतु रूपान्तरण आदेश दिनांक 06.04.2018 को दिया गया। इस प्रकार विप्रार्थीगण द्वारा इस आधार पर अपील पेश करना कि प्रार्थी की जोत ओधोगिक प्रयोजनार्थ थी एवं प्रार्थी कृषक नहीं थे , न्यायालय के मतानुसार उचित प्रतीत नहीं होता है।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 10.02.2014 पारित किया गया उस समय उक्त जोत खसरा सं. 528/454 रकबा 06.13 बीघा कृषि भूमि जिसका रूपान्तरण औद्योगिक प्रयोजनार्थ दिनांक 06.04.2018 को आदेश किये गये। इस प्रकार न्यायालय हाजा द्वारा उचित निर्णय पारित किया गया है।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थी को उसकी जोत मौजा डूंगरपुरा के खसरा सं. 528/454 रकबा 06.13 बीघा में आने जाने के लिए विप्रार्थीगण के खेत खसरा सं. 458/334 रकबा 62.00 बीघा एवं खसरा सं. 457/334 रकबा 143.04 बीघा मौजा डूंगरपुरा में से 20 फीट का चौड़ा रास्ता देने का निर्णय दिनांक 10.02.2014 को पारित किया गया, जो नियमानुसार पारित किया गया। उक्त निर्णय को यथावत रखा जाता है।

पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो । संख्या से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

(भागीरथ राम ॥)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.11.21 15:39:26 IST
Reason: SelfAttested